# .न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

**मुकदमा नं. 06/2020**

**प्रार्थी :–**

1. गुमानराम पुत्र प्रभुराम
2. कैलकी पत्नि गुमानराम
   जाति–जाट निवासी–नराधना तहसील–जायल हाल निवासी– बुटाटी जिला–नागौर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :–**

1. संजूदेवी पत्नी भूराराम, जाति–जांगीड़ निवासी–रोल तहसील जायल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

1. अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री अम्बालाल पाराशर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 30/03/2024

**– : : आदेश : : –**

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 59 रकबा 14.1802 बीघा मौजा गौराऊ तहसील जायल में स्थित है जिसके चिपते ही दक्षिण–पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी का खेत खसरा नं. 83 रकबा 0.3237 हैक्टेयर मौजा नराधना तहसील जायल में आया है, उक्त खेत पूर्व में अप्रार्थी 1 के भाई प्रेमाराम का था। जिसे अब अप्रार्थी ने खरीद कर लिया है। उक्त खेत के पश्चिम तरफ कटाणी रास्ता ग्राम खेरवाड़ से नराधना जाने के लिए लगता है। प्रार्थीगण सदैव से ही उक्त कटाणी रास्ते से होकर अप्रार्थी द्वारा खरीद किये गये इस खेत में से उतरी माठ पर चलकर आते–जाते रहे है। जो कि नजरी नक्शे में मार्क अ से ब प्रदर्शित है। प्रार्थीगण को अब तक कभी भी पूर्व खातेदार प्रेमाराम इस मार्ग से आवागमन के लिए नहीं रोका, लेकिन अब अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का उपभोग करने से मना कर दिये जाने से प्रार्थीगण का खातेदारी खेत में खेती करना दूभर हो जायेगा, इसी कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

30/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर



Scanned with CamScanner